श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) :(क) 1968 में मंत्रालय को पता चला कि सहकारी भंडारों में भारी घाटा हो रहा है और कोयला खान कल्याण संगठन द्वारा दिए गए ऋणों की अदायगी नहीं की जा रही है। 30-6-77 की स्थिति के अनुसार, अदा किये जाने वाले मूल की राशि 42.06 लाख रुपये है। 42.41 लाख रुपये का ब्याज भी देय हो गया है।

(ख) और (ग). कोयला खान श्रम कल्याण संगठन की सलाहकार समिति की उप-समिति ने 1969 में स्थिति की पुनरीक्षा की और उसकी सिफारिशों के अनुसार, सहकारी भंडारों और सोसायटियों को और ऋण तथा सहायता देना रोक दिया है। रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, बिहार, से भी सहकारी भंडारों के कार्य की जांच करने के लिए अनुरोध किया गया। भंडारों के कार्य को सुधारने तथा सोसायटियों को दिए गए ऋण की धन राशि वसूल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 1-4-75 से 30-6-77 तक की अवधि के दौरान ऋण की मूल धन राशि के रूप में 3.70 लाख रुपये वसूल किए गए हैं। चूंकि बकाया धन राशि की वसूली करने तथा ऐसी भारी बकाया धन राशि के लिये जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए प्रशासकीय कार्रवाई की जा रही है, अत: यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि इस समय मामले की जांच उच्च स्तरीय अधिकरण द्वारा करवाई जाए।

कोयला खान कल्याण आयुक्त के पद का रिक्त होना

2263. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोयला खान कल्याण आयुक्त का पद गत 6 महीनों से रिक्त पड़ा है और यदि हां तो उसे अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : कोयला खान कल्याण आयुक्त के पद के लिए कुछ अधिकारियों का चयन 15-4-1977 से पहले, जब यह पद खाली हुआ था, किया गया था, परन्तु इन अधिकारियों को उन के मूल विभागों द्वारा रिलीज नहीं किया गया था। उपयुक्त अधिकारी शीघ्र ही तैनात कर दिया जायगा।

कोयला खान श्रम कल्याण निधि में अनिर्णित पड़े सतर्कता सम्बन्धी मामले

2264. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान श्रम कल्याण निधि के अन्तर्गत बड़ी संख्या मे सतर्कता मामले कई वर्षों से अनिर्णीत पड़े है ; और यदि हां, तो इस के क्या कारण है; और

(ख) क्या सरकार का मामलों को 5-6 महीनो में निपटाने के लिये उनका कोई योजना बनाने का विचार है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) :

(क) कोयला खान कल्याण संस्था में सतर्कता के 16 मामलें अनिर्णीत पड़े हैं। पांच मामलों में जांच पूर्ण कर ली गई हैं और शेष मामले जांच की विभिन्न अवस्थाओं में है। चूंकि ये जांचें अर्ध-न्यायिक स्वरूप की हैं, इस लिए देरी होने से सदा नहीं बचा जा सकता।